

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 4th April, 2013]

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 4th April, 2013

No. PF-7/35502.-The following draft of the rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2013.
2. They shall come into force with effect from 1st June, 2012.
3. In the Haryana Development and Regulations of Urban Areas Rules, 1976, in the end, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule

[See rule 3]

RATES OF LICENCE FEE PER GROSS ACRE

(In lacs per gross acre)

Category of Uses	Hyper Potential Zone	High-I Potential Zone	High-II Potential Zone	Medium Potential Zone	Low Potential Zone
	Areas forming part of the development plan of Gurgaon-Manesar Urban Complex.	Areas forming part of Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex, Pinjore-Kalka Complex, Gwal Pahari & Periphery Controlled area of Panchkula (All for commercial Use only)	(i) Areas forming part of Development Plan of Faridabad-Ballabgarh Complex, Pinjore-Kalka Complex, Gwal Pahari & Periphery Controlled area of Panchkula (All for other than commercial use); (ii) Area forming part of Development Plan of Sonapat-Kundli Urban Area Complex and Panipat; (iii) Part of Sohna Development Plan falling in Gurgaon District; and, (iv), Any other	(i) Areas forming part of Development Plans of Karnal, Kurukshetra, Ambala, Yamuna Nagar-Jagadhari, Bahadurgarh, Hisar, Rohtak, Rewari, Gannaur, Palwal, Hodel, Bawal Dharuhera and Prithla. (ii) The urban areas declared under clause (o) of section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) to cover the	All other urban areas in the State.

			Urban Area declared under clause (o) of Section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), to cover the Controlled Area declared in Gurgaon District excluding the areas forming part of Development Plan of the Gurgaon-Manesar Urban Complex, Development Plan Pataudi and Farukhnagar.	controlled areas declared under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) in Faridabad District (excluding the Controlled Areas of Faridabad-Ballabgarh Complex) and Oil Refinery, Panipat (Baholi) in Panipat District.	
1	2	3	4	5	6
Residential (Plotted)	10.00	—	7.50	5.00	1.00
Residential (Group Housing)	20.00	—	15.00	7.50	2.00
Commercial	<p><u>On Gurgaon-Mehrauli Road</u></p> <p>(i) 430.00 for Floor Area Ratio above 150</p> <p>(ii) 320.00 for Floor Area Ratio upto 150</p> <p><u>On other Roads</u></p> <p>(i) 270.00 for Floor Area Ratio above 150</p> <p>(ii) 215.00 for Floor Area Ratio upto 150</p>	<p>(i) 215.00 for Floor Area Ratio above 150</p> <p>(ii) 185.00 for Floor Area Ratio upto 150</p>	<p>(i) 165.00 for Floor Area Ratio above 150</p> <p>(ii) 110.00 for Floor Area Ratio upto 150</p>	<p>(i) 75.00 for Floor Area Ratio above 150</p> <p>(ii) 50.00 for Floor Area Ratio upto 150</p>	<p>(i) 15.00 for Floor Area Ratio above 150</p> <p>(ii) 10.00 for Floor Area Ratio upto 150</p>
Industrial	2.00	—	1.00	0.50	0.10''

S.S. DHILLON,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 4 अप्रैल, 2013

संख्या पी.एफ-7/35502.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित में, नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाए, विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं ।
2. ये प्रथम जून, 2012 से लागू होंगे ।
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, अंत में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“अनुसूची

[देखिए नियम 3]

प्रति सकल एकड़ अनुज्ञप्ति फीस की दरें

(लाख रुपये प्रति सकल एकड़ में)

उपयोग का प्रवर्ग	अति उच्च क्षमता जोन	उच्च-I क्षमता जोन	उच्च-II क्षमता जोन	मध्यम क्षमता जोन	निम्न क्षमता जोन
	गुड़गांव- मानेसर अर्बन कम्प्लैक्स की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र	फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्प्लैक्स, पिन्जोर, कालका- कम्प्लैक्स, ग्वाल पहाड़ी तथा पंचकूला का परिधि नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (केवल सभी वाणिज्यिक उपयोग हेतु)	(i) फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्प्लैक्स, पिन्जोर, कालका- कम्प्लैक्स, ग्वाल पहाड़ी तथा पंचकूला का परिधि नियंत्रित क्षेत्र की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (सभी वाणिज्यिक उपयोग को छोड़कर); (ii) सोनीपत-कुण्डली अर्बन एरिया कम्प्लैक्स और पानीपत की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र; (iii) गुड़गांव जिले में पड़ने वाली सोहना विकास योजना का भाग; तथा, (iv) गुड़गांव-मानेसर अर्बन कम्प्लैक्स की विकास योजना, पटौदी	(i) करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर- जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, गन्नौर, पलवल, होडल, बावल धारुहेडा तथा पृथला की विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्र (ii) फरीदाबाद जिले में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन घोषित नियंत्रित क्षेत्र को शामिल करने के लिए हरियाणा नगरीय क्षेत्र	राज्य में घोषित सभी अन्य नियंत्रित क्षेत्र

			तथा फरुखनगर विकास योजना के भाग बनने वाले क्षेत्रों को छोड़कर जिला गुड़गांव में घोषित नियन्त्रित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 8) की धारा-2 के खण्ड (vi) के अधीन घोषित कोई अन्य अर्बन क्षेत्र।	विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 (1975 का 8) की धारा 2 के खण्ड (ण) के अधीन घोषित अर्बन क्षेत्र, (फरीदाबाद- बल्लभगढ़ कम्पलैक्स के नियन्त्रित क्षेत्र छोड़कर तथा पानीपत जिले में तेल रिफाइनरी, पानीपत (बहोली) को छोड़कर	
1	2	3	4	5	6
रिहायशी (प्लाटिड)	10.00	—	7.50	5.00	1.00
रिहायशी (ग्रुप हाउसिंग)	20.00	—	15.00	7.50	2.00
वाणिज्यिक	गुड़गांव –महरौली सड़क पर (i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 430.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 320.00 अन्य सड़कों पर (i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 270.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 215.00	(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 215.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 185.00	(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 165.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 110.00	(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 75.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 50.00	(i) 150 से उपर फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 15.00 (ii) 150 तक फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए 10.00
औद्योगिक	2.00	—	1.00	0.50	0.10''

एस0 एस0 दिल्ली, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।